हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
(I.S.O. 9001 : 2008 - Certified Organization)

महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु दसवीं एवं बारहवीं के एनरोलमैन्ट रिटर्न एवं सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथियों बारे।

(क) एनरोलमैन्ट रिटर्न की तिथियां:–

हरियाणा राज्य के सभी राजकीय/अराजकीय मान्यता प्राप्त एवं इस बोर्ड से स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा दसवीं/बारहवीं के विद्यार्थियों की सत्र 2016–17 के लिए एनरोलमैन्ट रिटर्न ऑन–लाईन भरी जानी हैं। इसके लिए हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 100/–रू0 प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों से प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 150/–रू0 प्रति विद्यार्थी है। एनरोलमैन्ट रिटर्न के बोर्ड कार्यालय में प्राप्ति की तिथियां निम्न प्रकार से है:–

कक्षा	बिना विलम्ब शुल्क	100/–रू0 विलम्ब शुल्क सहित	500/–रू0 विलम्ब शुल्क सहित	1000/–रू0 विलम्ब शुल्क सहित	शुद्धि के लिए तिथियां
दसवीं एवं बारहवीं	10.08.2016 से 29.08.2016	30.08.2016 से 05.09.2016	06.09.2016 से 12.09.2016	13.09.2016 से 19.09.2016	20.09.2016 से 26.09.2016

अतः सभी सम्बन्धित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के एनरोलमैन्ट रिटर्न के आवेदन पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क (आन–लाईन) सहित जमा करवाना सुनिश्चित करें। एनरोलमैन्ट शुल्क केवल Gateway Payment के माध्यम से स्वीकार की जायेगी।

(ख) सम्बद्धतां आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथियां–

उपरोक्त के अतिरिक्त शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सम्बद्धता आवेदन पत्र व शुल्क जमा करवाने की तिथियां भी निर्धारित कर दी गई हैं जो कि निम्न प्रकार से है:–

बिना विलम्ब शुल्क	5000/–रू0 विलम्ब शुल्क सहित
10.08.2016 से 24.08.2016 तक	25.08.2016 से 31.08.2016 तक

नोट:–

1. सम्बद्धता आवेदन पत्र व शुल्क केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से या दस्ती तौर पर बोर्ड कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। सम्बद्धता शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या बोर्ड मुख्यालय के काउन्टर पर नकद भी जमा करवाया जा सकता है। सम्बद्धता आवेदन पत्र व शुल्क ऑन–लाईन स्वीकार नहीं किया जायेगा। सम्बद्धता आवेदन–पत्र का प्रारूप बोर्ड की वैबसाईट पर है। अस्थाई सम्बद्धता हेतु 10000/–रू0 शुल्क व स्थाई सम्बद्धता हेतु 20000/–रू0 शुल्क जमा करवाया जाना है।
2. सम्बद्धता आवेदन पत्र के साथ सोसाईटी पंजीकरण की नवीनीकरण प्रति, शिक्षा विभाग द्वारा दी गई मान्यता की प्रति व स्टाफ स्टेटमैन्ट संलग्न की जानी अनिवार्य है।
3. जिन अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016–17 के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अस्थाई मान्यता जारी की गई है केवल वह विद्यालय ही उपरोक्त अनुसार एनरोलमैन्ट/सम्बद्धता के लिए आवेदन करें। यदि किसी विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा अस्थाई मान्यता जारी नहीं की गई है और उन द्वारा एनरोलमैन्ट के लिए आवेदन पत्र आन–लाईन भर दिए जायेंगे तो वे मान्य नहीं होंगे। इस प्रकार के आवेदन पत्र रद्द होने की स्थिति में उक्त विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होंगे।

4. सभी विद्यालयों को यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा जांच करवाने पर यदि कोई एस0 एल0 सी0/ टी0 सी0 बोगस/फर्जी पाया जाता है तो उसका एनरोलमैन्ट रद्द कर दिया जाएगा जिसके लिए सम्बन्धित विद्यालय स्वंय जिम्मेवार होगा तथा सम्बन्धित विद्यालय के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. इन विद्यार्थियों का विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र सम्बन्धित राज्य के जिला शिक्षा अधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी से अवश्य प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

6. बोर्ड द्वारा एनरोलमैन्ट रिटर्न प्रप्ति की निर्धारित तिथि के बाद माता–पिता/सरंक्षक के स्थानांतरण के कारण माइग्रेट होने वाले विद्यार्थियों को एस0एल0सी0/टी0सी0 मे दर्शाई गई गत संस्था में उसी कक्षा में पढने की अन्तिम तिथि से 20 दिन के अन्दर–अन्दर अगली संस्था में प्रवेश लेना होगा तथा प्रवेश की यह अवधि समाप्त होने के बाद 15 दिन के अन्दर–अन्दर इनकी एनरोलमैन्ट रिटर्न बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। माइग्रेशन केस मे एस0एल0सी0/टी0सी0 में दर्शाई गई गत संस्था में उसी कक्षा में पढने की अन्तिम तिथि से 20 दिन के बाद किया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। टी0सी0 जारी होने की तिथि के आधार पर किया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा।

7. इस बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों के एस0एल0सी0/टी0सी0 का सत्यापन/जांच प्रवेश देने वाली संस्था अपने स्तर पर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता से करवाएगी तथा एनरोलमैन्ट रिटर्न पर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उक्त एस0एल0सी0/ टी0सी0 का सत्यापन करवा लिया है जो कि सही है। यदि गलत पाया गया तो इसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी। एस0एल0सी0/प्रमाण–पत्रों की सत्यापित फोटोस्टेट की एक–एक प्रति बोर्ड कार्यालय में भेजी जाने वाली हार्ड–कापी के साथ अवश्य संलग्न करनी होगी। उपरोक्त शर्ते पूरी न होने पर एनरोलमैन्ट नम्बर जारी नहीं किया जायेगा, जिसके लिए संस्था स्वयं उतरदायी होगी। इसी प्रकार (अन्य राज्य में स्थित बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों द्वारा जारी एस0एल0सी0/ टी0सी0 के आधार पर प्रवेश दिया जाता है तो वे एस0एल0सी0 टी0सी0 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी अथवा समकक्ष शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर सत्यापित प्रति रिटर्न के साथ भेजें। बिना प्रतिहस्ताक्षर के एस0एल0सी0/ टी0सी0 मान्य नहीं होंगे।)

8. जिन छात्रों के दस्तावेज अपूर्ण होने पर विद्यालय में अस्थाई प्रवेश दिया गया हो उनके आवेदन पत्र भी भरे जाने है तो इसका उल्लेख आवेदन–पत्र पर किया जाए। अस्थाई प्रवेश दिए गए विद्यार्थि या उसके अभिभावक से लिखित में लिया जाए कि वर्णित दस्तावेज पूर्ण न करने के कारण एनरोलमैन्ट नहीं होने की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेवार होगा तथा कोई दावा भी नहीं करेगा। पी0 ए0 आर0 के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा उतीर्ण करने पर उनके प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति शीघ्र बोर्ड कार्यालय को भेजनी होगी। इसके उपरान्त ही एनरोलमैन्ट नम्बर जारी किये जायेंगे।

9. प्रत्येक संस्था, विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र जारी करते समय उस पर एनरोलमैन्ट नम्बर का कॉलम बनाकर उसमें एनरोलमैन्ट नम्बर अवश्य दर्शाए।

10. किसी विद्यालय के अपग्रेड होने की स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्रों को प्रवेश देना होगा। प्रवेश के बाद 15 दिन के अन्दर–अन्दर बिना विलम्ब शुल्क रिटर्न भेजनी होगी इसके पश्चात रिटर्न की शर्त के अनुसार ही स्वीकार होगी।

11. जिन छात्रों/छात्राओं की एनरालेमैन्ट रिटर्न भेजी गई है उनमें यदि किसी भी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है तथा त्रुटि पत्र के माध्यम से सूचित की गई निर्धारित तिथि तक त्रुटियां दूर नहीं करवाई जाती हैं उनके एनरोलमैन्ट नम्बर जारी नहीं किये जाएंगे जिसके लिए विद्यालय का ही उतरदायित्व होगा। इस बारे में कोई स्मरण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा।

12. यदि विद्यार्थी एनरोलमैन्ट के पात्र नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को एनरोलमैन्ट नम्बर जारी नहीं किया जायेगा तथा उनकी फीस भी रिफण्ड नहीं की जाएगी।

13. यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि संस्था द्वारा किसी विद्यार्थी को गलत तरीके से प्रवेश दिया गया है तो उस विद्यार्थी की पात्रता रदद कर दी जाएगी तथा विद्यार्थी का सरकारी संस्था का होने पर मुखिया के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु केस शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और यदि छात्र अराजकीय मान्यता प्राप्त संस्था का है तो उसकी सम्बद्धता रदद करते हुए मान्यता समाप्त करने हेतु केस शिक्षा विभाग को भेज दिया जायेगा।

14. जिन संस्थाओं द्वारा बोर्ड कार्यालय के विनियमों की उल्लघना करके विद्यार्थियों को गलत तरीके से प्रवेश दिये गये हैं और बोर्ड कार्यालय द्वारा उनके एनरोलमैन्ट क्रमांक रदद करने तथा अनुक्रमांक जारी न करने की स्थिति में विद्यार्थियों द्वारा किसी भी कोर्ट में केस दायर करने पर बोर्ड कार्यालय को पार्टी बनाया जाता है तो विद्यालय/महाविद्यालय से उनकी लापरवाही के लिए आने वाले कोर्ट केस का खर्च वसूला जाएगा तथा विद्यालय/महाविधालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

15. एनरोलमैन्ट रिटर्न मे किसी भी प्रकार की शुद्धि करवाने हेतु 200/–रू0 प्रति त्रुटि बतौर शुद्धि शुल्क एवं वाछित प्रलेख कार्यालय में मूल रूप मे प्रस्तुत करके ही कार्यावाही करवाई जा सकती है। शुद्धि वांछित दस्तावेज सही पाये जाने पर ही की जाएगी।

16. एनरोलमैन्ट के सम्बन्द्ध में पूछताछ हेतु बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में विद्यार्थि/अभिभावक को बिना विद्यालय प्रतिनिधि एव रिकार्ड के न भेजा जाए।

17. सभी संस्थाएं एनरोलमैन्ट फार्म आन–लाईन भरने के बाद इसमें की जाने वाली शुद्धियों की तिथि के तुरन्त बाद, एक सप्ताह के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को भेजी जाने वाली हार्ड कापी के साथ उस कक्षा के उपस्थिति रजिस्टर (रिटर्न भेजे जाने वाले तथा प्रवेश लेने वाले मास की) एवं दाखिला खारिज रजिस्टर के अन्तिम पृष्ठ कर प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति अवश्य संलग्न करेंगी अन्यथा रिटर्न स्वीकार नहीं की जाएगी और उन्हे एनरोलमैन्ट क्रमांक जारी नही किए जाएंगे।

हस्ता/–

सहायक सचिव(एनरोलमैन्ट/सम्बद्धता)